कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय–जोधपुर में दायर **एस. बी. रिट संख्या 3303/2015** आशा सोनी, प्रधानाचार्या (रा0 बालिका उमावि0, बालिया जिला पाली) बनाम सरकार, प्रकरण में माननीय् उच्च न्यायालय–जोधपुर के अन्तरिम **स्थगन–आदेश दिनांक 08–04–2015** के द्वारा श्रीमती आशा सोनी को एपीओ0 किये जाने सम्बधी विभागीय **आदेश दिनांक 26–03–2015 का क्रियान्वयन,** याचिकार्थी (आशा सोनी प्रधानाचार्या–उमावि) के सम्बन्ध में माननीय् उच्च न्यायालय–जोधपुर के अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था। उक्त अन्तरिम स्थगनादेश की पालना में श्रीमती आशा सोनी पूर्ववत राजकीय बालिका उमावि0 बालिया, पाली में ही कार्यरत रही।

याचिका के निस्तारण हेतु माननीय् न्यायालय द्वारा दिए गये अन्तिम निर्णय दिनांक 20–07–2017 के अनुसार पूर्व पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 08–04–2015 आत्यन्तिक (एबस्ल्यूट) किया गया है तथा साथ ही विभाग को यह स्वतन्त्रता दी गई है कि प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर पुनः नया आदेश पारित किया जा सकता है। माननीय् न्यायालय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वतन्त्रता के मध्य नजर श्रीमती आशा सोनी, वर्तमान प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका उमावि0 बालिया जिला पाली को **माननीय् न्यायालय निर्णय की अनुपालना में रा0 आदर्श उमावि0 वटेरा जिला सिरोही में प्रधानाचार्य–उमावि के रिक्त पद पर विभागीय आदेशांक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्थाना/2018 दिनांक 19–05–2018 के द्वारा पदस्थापित किया जा चुका है।** सभी सम्बधित सूचित हो। **नियमानुसार कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा./संस्था/बी–2/याचिका–3303/आशा सोनी/2018 दिनांक – 19.05.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक,कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु ।
3. उप निदेशक (माध्यमिक) पाली।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली/सिरोही को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जोधपुर
6. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित शिक्षा–अधिकारी को पालनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण तथा समस्त प्रविष्टियों का इन्द्रॉज किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभाग के आदेशांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी–2/45002/स्थाना0/ 2015–16 दिनांक 29–02–2016 द्वारा श्री सन्तोष कुमार आर्य, प्रधानाचार्य, राउमावि0, सालासर जिला चूरू का पदस्थापन संशोधित किया जाकर, इन्हे राउमावि, खेजडा सरदारशहर जिला चूरू पदस्थापित/स्थानान्तरित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय् अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या–372/2016 श्री सन्तोष कुमार आर्य, प्रधानाचार्य रा.आदर्श उमावि0, सालासर जिला चूरू बनाम सरकार प्रकरण में माननीय् अधीकरण के निर्णय आदेश दिनांक 10–03–2016 द्वारा विभाग के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 29–02–2016 का क्रियान्वयन अपीलार्थी (श्री सन्तोष कुमार आर्य) के सम्बध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया।

प्रकरण में माननीय् अपील अधिकरण राजस्थान जयपुर के अन्तिम निर्णय दिनांक 30–10–2017 के अनुसार पूर्व में प्रदत्त स्थगनादेश दिनांक 10–03–2016 को कन्फर्म किया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रशासनिक आधार पर राज्य हित में नया आदेश प्रसारित किया जाता है तो यह निर्णय/आदेश उसमें बाधक नहीं होगा। अतः माननीय् अपील अधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्णय एवं प्रदत्त स्वतन्त्रता के मध्य नजर **श्री सन्तोष कुमार आर्य का पदस्थापन स्थान, संशोधित किया जाकर इन्हे प्रधानाचार्य राउमावि0 10.–एल एम घडसाना जिला श्रीगंगानगर में पदस्थापित किया जाता है।** सम्बन्धित कार्मिक आदेश की अनुपालना में तत्काल शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण किया जाना तथा शाला दर्पण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियो का इन्द्रॉज किया जाना सुनिश्चित करावें। सभी सम्बन्धित सूचित हों। **नियमानुसार कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।**

(नथमल डिडेल)
आई ए एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रंमाक :: शिविरा/मा/संस्था/बी–2/अपील–372/2016/सन्तोष आर्य दि0 :: 24.05.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1– शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2– उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
3– जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर
4– जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जोधपुर
5– अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6– एनालिस्ट कम प्रोग्रॉमर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7– सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
8– गार्ड पंजिका/निजी पत्रावली हेतु।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर